(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1378-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 18-10-2012 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 40/2011-12 अपील

1- शंभूराम पुत्र ज्वालाराम ब्राहमण
2- सुनीलकुमार पुत्र शंभूराम ब्राहमण
दोनों ग्राम बमुरी उन्मुक्त
तहसील सिहावल जिला सीधी ----आवेदकगण

विरूद्ध

मणिराज द्विवेदी पुत्र रामशिरोमणित द्विवेदी
ग्राम बमुरी उन्मुक्त तहसील सिहावल जिला सीधी ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश सिंह .)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री संतोष द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4- 10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 40/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार सिहावल को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 11-1-2008 को उसकी भूमि पर कब्जा करके मकान का निर्माण किया जा रहा है मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा हैं

इसलिये स्थगन दिया जावे। तहसीलदार सिहावल ने प्रकरण कमांक 24 अ 70/ 07-08 पॅजीबद्ध किया तथा स्थगन आदेश दिनांक 11-1-2008 जारी कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/ सिहावल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 100/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-12-10 से अपील स्वीकार कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु वापिस का दिया। तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर कार्यवाही प्रारंभ हुई। तहसीलदार सिहावल ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 24 अ 70/07-08 में आदेश दिनांक 3-5-11 पारित किया तथा आवेदकगण को अनावेदक की भूमि पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/ सिहावल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/ सिहावल ने प्रकरण कमांक 99/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-2011 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 40/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2012 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण द्वारा मकान बनाकर बेजा कब्जा करने हेतु प्रस्तुत दावे पर से तहसीलदार सिहावल ने प्रकरण कमांक 24 अ 70/07-08 पॅजीबद्ध करके हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की है एंव पक्षकारों की मौखिक साक्ष्य भी ली है जिसमें हलका पटवारी शेषमणि शर्मा के कथन लिये गये हैं जिन पर आवेदकगण की ओर से प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। इसी प्रकार अनावेदक के कथन लिये गये है एंव

कथनों पर प्रतिपरीक्षण हुआ है। ग्रामीण रामलाल, जगपाल, शिवशॅकर, सोनूप्रसाद, वृहष्पतिप्रसाद, विद्यापति के कथन लिये गये है जिन पर प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। तहसीलदार सिहावल के प्रकरण कमांक 24 अ 70/07-08 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सिहावल ने पूर्ण जॉच करके एंव पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश दिनांक 3-5-11 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कमी-वेशी न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/ सिहावल ने आदेश दिनांक 21-10-2011 में एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 18-10-2012 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 40/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-10-2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर